उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)

10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांक : 27–06–2019

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई के सर्कुलर–26 दिनांक 25–06–2019 के माध्यम से हज यात्रियों की जानकारी हेतु आवश्यक निम्न निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. हज यात्री अपनी यात्रा का कंफर्मेशन एवं रिपोर्टिंग ई–बुकिंग सुविधा के माध्यम से वेबसाइट **www.hajcommittee.gov.in** पर कवर हेड द्वारा करा सकेंगे। हज यात्रियों के सहयोग हेतु वेबसाइट पर ई–बुकिंग कैसे करें, पी.डी.एफ. एवं पॉवर प्वाइंट से दर्शाया गया है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद हज यात्रियों को अपने उड़ान स्थल, यात्रा से केवल 24 घण्टे पूर्व ही पहुँचना होगा, जहाँ वह अपनी यात्रा सम्बन्धी प्रपत्र लेकर पहुँचेंगे।
2. ऑनलाइन बुकिंग उड़ान की तिथि से दो दिन पूर्व कर सकेंगे।
3. जो हज यात्रा ऑनलाइन बुकिंग नहीं करायेंगे वह अपनी यात्रा से दो दिन पूर्व प्रातः 10:00 बजे उड़ान स्थल पर रिपोर्टिंग/बुकिंग हेतु पहुँचेंगे।
4. कोई भी कवर किसी भी रुप में तोड़ा नहीं जाएगा, एक कवर के सभी हज यात्रियों की बुकिंग एक साथ होगी।
5. रिहाइशी कैटेगरी **(NCNTZ/AZIZIYA)** किसी भी रुप में बदली नहीं जाएगी।
6. मेनिनजाइटिस/इंफ्लूएंज़ा वैक्सीन/पोलियो ड्रॉप, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित ओ.पी.डी. बुकलेट हज यात्रियों को अपने साथ लाना आवश्यक है।
7. एक बार उड़ान तिथि जारी होने के बाद बदली नहीं जाएगी। हज यात्रियों को अपनी उड़ान तिथि में यात्रा करनी होगी। केवल मृत्यु/गम्भीर बीमारी अथवा दुर्घटना फलस्वरुप ही उड़ान की तिथि बदली जा सकेगी परन्तु बदली हुई उड़ान तिथि जहाज़ में सीट उपलब्ध होने की दशा में दी जा सकेगी।
8. केवल हज कमेटी आफ इण्डिया को उड़ान तिथि व समय बदले जाने व यात्रा निरस्त करने का अधिकार होगा।
9. हज यात्रियों को एयरपोर्ट पर छः घण्टा पूर्व पहुँचना होगा।
10. यदि कोई हज यात्री अपनी बुकिंग कराने के बाद उड़ान पर नहीं पहुँच पाता है तो उसको अगली उड़ान हेतु रु0 25,000/– (रुपए पच्चीस हज़ार) हज कमेटी के खाते में जमा कराने होंगे, अगली उड़ान जहाज़ में सीट उपलब्ध होने की दशा में दी जाएगी।
11. हज यात्रियों को गाइडलाइंस के अनुरुप स्टैण्डर्ड बैगेज ही ले जाने की अनुमति होगी। अनुपालन न करने की स्थिति में यात्रा निरस्त भी हो सकती है एवं जमा धनराशि भी ज़ब्त हो सकती है।
12. एक कवर के हज यात्रियों को अपने एक सहयोगी के साथ हज हाउस में ठहरने की अनुमति होगी, एक से अधिक सहयोगी होने पर अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

सचिव/कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 राज्य हज समिति